



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164100

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 1466 वर्ष 2026

आनंद कुमार उर्फ टिकल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : शारिक अहमद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : विजय कृष्ण अग्निहोत्री, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शारिक अहमद, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. अग्निहोत्री, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 1560/2022 (राज्य बनाम अमित वर्मा एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 60 सन् 2022, धारा 147, 148, 149, 352, 307, 452 आई.पी.सी., थाना नवाबगंज, जनपद कानपुर नगर में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दिनांक 27.03.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 18.03.2022 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 9 दिन बाद दिनांक 27.03.2022 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई इस असामान्य देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने कथित अपराध में भाग लिया। विवेचना अधिकारी ने जांच प्रारंभ की और दिनांक 01.10.2022 को उसे पूर्ण किया। आवेदक को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त पाया गया और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहां सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया। आगे प्रस्तुत किया गया कि आरोप निर्धारित किए जाने के पश्चात अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू.-1 कैलाश चंद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(सूचनादाता), पी.डब्ल्यू.-2 आकाश चंद्र (घायल), पी.डब्ल्यू.-3 बीना चंद्र तथा पी.डब्ल्यू.-4 अभिनव चंद्र के बयान दर्ज किए गए और तत्पश्चात अभियोजन द्वारा आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तलब किए जाने के लिए धारा 319 दं.प्र.सं. / 358 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त धारा 319 दं.प्र.सं. / 358 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.08.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त मामले में तलब किए जाने के पश्चात आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 के आदेश के माध्यम से उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई। आवेदक ने दिनांक 28.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है।

5. आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त पाया गया था और विधिवत जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया कथित अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई थी। आवेदक को अभियोजन की मनमानी के आधार पर वर्तमान मामले में तलब किया गया है। आवेदक आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए तैयार है। इस मामले में जांच पहले ही पूर्ण की जा चुकी है और कथित अपराध में आवेदक की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। आवेदक की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग



नहीं करेगा, विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का पुरजोर विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं किया। आवेदक द्वारा विवेचना अधिकारी को गुमराह किया गया था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने के बावजूद उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था, किंतु उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता नहीं पाई गई। उसे धारा 319 दं.प्र.सं. / 358 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है और आवेदक की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनाया है।

9. अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई, (2022) 13 एससीसी 764 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :

“11. उपर्युक्त का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट अथवा संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त न्यायालय को आरोप-पत्र को

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



तत्काल स्वीकार करना होगा और धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्यवाही करनी होगी। यह सही रूप से देखा गया है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी का वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दं.प्र.सं. में परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो फरार है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या उसे समन की विधिवत तामील किए जाने के प्रमाण के बावजूद वह उपस्थित होने से इनकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी के स्वरूप हैं।

12. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है और धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियां, उस अभियुक्त के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हैं, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जिसकी अभिरक्षा जांच की अवधि के दौरान आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी न किया जाना अथवा उसे अभिरक्षा में पेश न किया जाना, स्वयं ही उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हैं। इसका आधार संक्षेप में इस प्रकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र रहा है और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो केवल आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारावास में रखना, जमानत प्रदान करने के नियंत्रक सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे अधिक सहमत नहीं हो सकते।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आता है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

11. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है :-

(i) उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक **आनंद कुमार उर्फ टिंकू** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र रु.50,000/- तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के उद्देश्य से संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।



12. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

05 अगस्त, 2026

नितेंद्र

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)